

6

टीपें और आज्ञायें

सहायक/अधि०/प्र० अधि० (सम्पत्ति)/सचिव/उपाध्यक्ष महोदय,

कृपया दाहिनी तरफ संलग्न श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री राम गनेश द्वारा प्रस्तुत आन लाईन रजिस्ट्रेशन नं०-एमयू२०१९०२२३१३१९३५४९ दिनांक-२३.०२.२०१९ के साथ संलग्न संलग्नकों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिद्धार्थपुरम् आवासीय योजना के अर्न्तगत व्यवसायिक भूखण्ड सं०-०९ क्षेत्रफल ४३.५७ वर्ग मीटर डा० रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम के पक्ष में आवंटित है, जिसका पूर्ण भुगतान के उपरान्त प्राधिकरण से दिनांक ३१.०३.२००३ को विक्रय विलेख निष्पादित है, जिसका तितिम्मा विलेख दिनांक २४.०५.२००३ को निष्पादित है। उक्त व्यवसायिक भूखण्ड को डा० रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम द्वारा श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री राम गनेश के पक्ष में दिनांक-०२.०८.२०१८ को पंजीकृत रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित कर दिया गया है। श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री राम गनेश द्वारा उक्त व्यवसायिक भूखण्ड को म्यूटेशन के आधार पर नामान्तरण हेतु आन लाईन रजिस्ट्रेशन नं०-एमयू२०१९०२२३१३१९३५४९ दिनांक-२३.०२.२०१९ के साथ विक्रय विलेख, तितिम्मा विलेख एवं रजिस्ट्री बैनामा की प्रमाणित छाप्रतियों प्रस्तुत करते हुए उक्त व्यवसायिक भूखण्ड पर अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

शासनादेश संख्या-१२८/९-आ-१-९७ दिनांक ०६.०२.१९९७ के अनुसार भूखण्डों/मवनों/दुकानों के मूल्य का ०१ प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क के रूप में जमा कराकर नाम दर्ज किये जाने का प्राविधान था। पूर्व में तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक ३०.०९.२००५ एवं निर्देश के कम में आवंटित सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य, वैनामें दर्शित मूल्य व प्राधिकरण द्वारा विक्रय की गयी सम्पत्ति मूल्य में से जो अधिक हो उसका ०१ प्रतिशत शुल्क जमा कराकर म्यूटेशन करने का आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में उक्त के अतिरिक्त तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक ०४.०५.२०१२ के कम में जिलाधिकारी सर्किल रेट के आधार पर मूल्य आगणित करते हुए चारों में से जो अधिक हो उसका ०१ प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क जमा कराकर नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया है। चूंकि विक्री की गयी सम्पत्ति का मूल्य ₹०-१,३०,८०७.०० व वैनामें में दर्शित मूल्य ₹०-१८,००,०००.०० व वर्तमान मूल्य ₹०-२९,१०,६०१.०० मात्र तथा जिलाधिकारी सर्किल रेट के अनुसार मूल्य ₹०-३९,२२,०००.०० है। इस प्रकार चारों में जिलाधिकारी सर्किल रेट अधिक है, जिसका ०१ प्रतिशत म्यूटेशन शुल्क ₹०-३९,२२०.०० मात्र देय होता है। डा० रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम से पत्र संख्या-१२ दिनांक २७.०४.२०१९ पंजीकृत डाक के माध्यम से आपत्ति मांगी गयी थी, परन्तु आज दिवस तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। म्यूटेशन शुल्क के गणना का परीक्षण लेखा अनुभाग द्वारा नोटशीट के गत पृष्ठ संख्या-५ पर किया गया है।

विधि/वाद अनुभाग की आख्या अनुसार स्थिति निम्नवत पायी गयी है :-

१- सहायक विधि अधिकारी की आख्या दिनांक ०७.०५.२०१९ के अनुसार सिद्धार्थपुरम् आवासीय योजना के अर्न्तगत व्यवसायिक भूखण्ड सं०-०९ क्षेत्रफल ४३.५७ वर्ग मीटर के सम्बन्ध में कोई वाद योजित होना नहीं पाया गया है।

२- वाद अनुभाग के अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक २६.०८.२०१९ के अनुसार अवैध निर्माण सम्बन्धी वाद योजित होना नहीं पाया गया है।

३- सम्पत्ति के मद में कोई देयता शेष नहीं है।

अतः उपरोक्त का अवलोकन कर सहमति की दशा में डा० रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम के पक्ष में सिद्धार्थपुरम् आवासीय योजना के अर्न्तगत आवंटित व्यवसायिक भूखण्ड सं०-०९ क्षेत्रफल ४३.५७ वर्ग मीटर को उपरोक्तानुसार विक्रय कर दिये जाने के कारण उक्त भूखण्ड पर म्यूटेशन शुल्क ₹०-३९,२२०.०० मात्र जमा कराकर डा० रविन्द्र कुमार पुत्र श्री सीताराम के नाम के स्थान पर श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री राम गनेश का नाम दर्ज करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

११/९/२०१९
रामदास
(लिपिक)

२९
२९-०९-२०१९
(९०/६०)

२१/०९/१९
सहायक सम्पत्ति अधिकारी
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

२९/०९
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

२९/०९/१९

Thank You! Your Transaction is successful.

Transaction Reference No	OMS20191017131604517
Payment ID	141073360
Payment Amount	39220.00
Payment Date and Time	2019-10-17 13:17:49
Registration No	MU2019022313193549
Name of the authority	Gorakhpur Development Authority
Property Details	Freehold Commercial plot-09 SIDDHARTHAPURAM Non-Residential 1173-A JAGRATHPUR MAYABAZAR SADAR GORAKHPUR
Payee Address	8 GOL PARK SIDDHARTHAPURAM COLONY TARAMANDAL, GORAKHPUR Gorakhpur
Payee Name	SHAKUNTALA
Payee Mobile	8601876297
Payee Email	

Home

Print